

ACM काले सु. कल
फर्द अहकाम

गेंदु लाल बनाम चंडी लाल

17/21 51क

नांक आज्ञा या
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष

8
5
25

पंजाबली प्रस्तुत वकील प्राप्ति की बहक सुनी
गई। प्राप्ति ने निवेदन किया कि अप्राप्ति
विना विशेष विचार के क्विस्ट 2- भाग का
निर्माण कार्य करने पर उत्तर है कि अप्राप्ति
उक्त कार्य करने में सफल रहे है तो प्राप्ति
को अपूरणीय इति होगी। प्रस्तुत तर्क, दस्तावेज
के आधार पर मामला अपूरणीय इति प्रतीत होता
है अतः डिक्री 17-2-2024 को जारी अंतर्गत
इस्थान निषेधाज्ञा क्रमांक के मूल पत्र के
निस्तारण तक स्थान विषय जाता है। पंजाबली
फिल्ल शुभा देवी दायिल फल है।

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

